2026:CGHC:9588

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित दिनांक–31/01/2026

निर्णय उद्घोषित दिनांक–24/02/2026

दाण्डिक अपील क्रमांक–2294/2023

- मोहन लाल साहू पिता–तीरथ राम साहू, उम्र–लगभग 43 वर्ष, निवासी–ग्राम कल्ले, चौकी–बिरेझर, पुलिस थाना–कुरूद, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–कुरूद, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी/राज्य

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा : श्री सतीश चन्द्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी द्वारा : सुश्री विथिका चौबे, पैनल अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! सी.ए.वी. निर्णय !!

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–374 (2) के तहत प्रस्तुत इस दाण्डिक अपील में, विचारण न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी, (पॉक्सो अधिनियम), धमतरी, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–15/2023 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध**

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.02.24 16:33:06 +0530

मोहन लाल साहू" में पारित निर्णय दिनांक–05/12/2023 को चुनौती दी गई है । जिसके तहत अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन निर्णय" से संबोधित किया जा रहा हैः–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
धारा–12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 [धारा–354 (क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत भी दोषसिद्ध किया गया किन्तु धारा–42 "विशेष अधिनियम" के तहत गुरूत्तर दण्ड का प्रावधान होने से केवल धारा–12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दण्डित किया गया है]	02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।
धारा–509 (ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860	01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/– रूपये का अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड राशि अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।
मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी ।	

2. उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त "प्रश्नाधीन निर्णय" के अंतर्गत ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 67(ख), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है ।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है कि अपीलार्थी शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, मड़ेली में शिक्षक के पद पर कार्यरत है, जहाँ पीड़िता (अ.सा.–1) अध्ययनरत थी

तथा उसकी एक मित्र (अ.सा.–8) भी वहाँ अध्ययनरत थी । अपीलार्थी के पास मोबाइल फोन क्रमांक 70005–72154 था तथा पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) के पास मोबाइल क्रमांक 62684–25550 था । अपीलार्थी प्रायः पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) के मोबाइल फोन पर पीड़िता से अश्लील एवं आपत्तिजनक बातचीत करता था तथा उसे बहला–फुसलाकर शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव डालता था । यह घटनाक्रम दिनांक 25/09/2022 से 25/01/2023 के मध्य घटित होना बताया गया है । उक्त बातचीत का ऑडियो प्रसारित होने से पीड़िता (अ.सा.–1) एवं उसके पिता (अ.सा.–2) की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचना कथित है । पिता (अ.सा.–2) द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–6) के आधार पर थाना कुरूद, जिला धमतरी में दिनांक 26/01/2023 को प्रथम सूचना पत्र (प्रदर्श पी–7/1) दर्ज की गई । घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया । संबंधित मोबाइल फोन की जब्ती की गई । प्रसारित ऑडियो को सुनकर उसकी आवाज़ पहचान कर पंचनामा (प्रदर्श पी–9) तैयार किया गया । पीड़िता (अ.सा.–1) की आयु के प्रमाणीकरण हेतु विद्यालय के दाखिल–खारिज पंजी सहित अन्य दस्तावेजों की जब्ती की गई । साक्षियों के कथन लिए गए तथा ऑडियो को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. आरोप प्रमाणन वास्ते विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में 14 साक्षियों का परीक्षण तथा 26 दस्तावेज प्रदर्श चिन्हांकित करवाये गये । धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन में अपीलार्थी ने अपने विपरीत साक्षियों के कथनों को इनकार करते हुए कहा है कि उसके विरुद्ध राजनीतिक द्वेषवश झूठा मामला बनाया गया है । पीड़िता ने अपने माता–पिता के दबाव में कथन दिया है । अपीलार्थी के अनुसार उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फँसाया गया है ।

बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । उभयपक्ष को सुना जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को इस निर्णय की कण्डिका–1 के अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है ।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं पीड़िता (अ.सा.–1) के कथनों में आंतरिक विरोधाभास विद्यमान हैं तथा उसने दीर्घ अवधि तक किसी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत नहीं की । यह भी तर्क किया गया कि पीड़िता की आवाज का कोई नमूना संकलित नहीं किया गया । पीड़िता द्वारा जिस मोबाइल फोन से बातचीत किए जाने का कथन किया गया है, वह मोबाइल फोन वास्तव में किसका था, यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सका है । जिस दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) के मोबाइल फोन पर कथित ऑडियो प्रसारित होना बताया गया है, उसका मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया । साक्ष्य में जिस 'दीपू' नामक व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, उसका परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया । विचारण न्यायालय ने धारा 67(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के आरोप को प्रमाणित नहीं माना है । विवेचक प्रणाली वैद्य (अ.सा.–13) ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि कथित मित्र (अ.सा.–8) के पिता से संबंधित मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया । उक्त मोबाइल का व्हाट्सएप खोलकर यह भी जांच नहीं की गई कि उसके माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग किस मोबाइल नंबर पर प्रेषित की गई थी । इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संपूर्ण घटनाक्रम संदेहास्पद है । स्वयं पीड़िता (अ.सा.–1) ने स्वीकार किया है कि उसे कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी । अभियोक्त्री संदेह से परे विश्वसनीय साक्षी नहीं है । अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में "प्रश्नाधीन दोषसिद्धि एवं

दण्डादेश" का निर्णय विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए ।

6. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के तर्क का विरोध करते हुए कहा है कि अभियोजन साक्षियों ने पूर्ण रूप से अभियोजन मामले का समर्थन किया है जिनपर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है । विचारण न्यायालय का "प्रश्नाधीन निर्णय" साक्ष्य की उचित समीक्षा पर आधारित है । अभियोजन ने अपीलार्थी के विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया है । अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में उठाये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । अतः अपील खारिज किया जाये ।

7. उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया और अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया ।

8. विचारण न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं हो सका कि कथित दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) के मोबाइल फोन पर उक्त ऑडियो किस व्यक्ति द्वारा प्रेषित अथवा प्रसारित किया गया था । यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं हुआ कि पीड़िता (अ.सा.–1) की मित्र (अ.सा.–8) द्वारा उक्त ऑडियो का प्रसारण किया गया हो । इसी प्रकार यह भी स्थापित नहीं किया जा सका कि दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) के मोबाइल फोन पर संबंधित ऑडियो किस स्रोत से प्राप्त हुआ । विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि दिनेश कुमार साहू का मोबाइल फोन जब्त ही नहीं किया गया । इन तथ्यों के आलोक में विचारण न्यायालय ने धारा 67(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आरोप को प्रमाणित न पाते हुए अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया । ऐसी स्थिति में, जब अभियोजन का मुख्य आधार मोबाइल फोन पर हुई कथित बातचीत है, जिसके माध्यम से

अपीलार्थी द्वारा अपराध कारित किए जाने का आरोप है, तब प्रकरण के समस्त महत्वपूर्ण साक्षियों के कथनों का अत्यंत सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होगा ।

9. स्वयं पीड़िता (अ.सा.–1) ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह कहा है कि अपीलार्थी ने उसकी मित्र (अ.सा.–8) के मोबाइल फोन के माध्यम से उससे बातचीत की थी; अपीलार्थी उसे विद्यालय के लैब में बुलाता था, उसे एक अंगूठी दी थी तथा दो–तीन बार फोन पर अश्लील बातें की थीं । तथापि, उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे उस कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जिसके प्रसारित होने का उल्लेख किया गया है । प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कहा कि उसकी मित्र (अ.सा.–8) ने फोन मिलाकर उसे अपीलार्थी से बात करने हेतु दिया था । किंतु वह यह स्पष्ट रूप से बताने में असफल रही कि अपीलार्थी ने उसे विद्यालय के लैब में किस दिन एवं किस समय बुलाया था तथा वहाँ उसके साथ क्या कृत्य किया गया । उसने फोन पर "गंदी बात" किए जाने का सामान्य आरोप तो लगाया है, परंतु लैब में अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी विशिष्ट आचरण का स्पष्ट एवं ठोस विवरण प्रस्तुत नहीं किया । उसने यह भी कहा कि सितंबर, 2022 में पहली बार बातचीत होने के लगभग 15–20 दिन पश्चात पुनः अपीलार्थी से बात हुई थी, और उस समय भी मित्र के मोबाइल का ही उपयोग किया गया था; तथापि उस बातचीत की विषयवस्तु क्या थी अथवा कथित "गंदी बात" क्या कही गई थी, इसका कोई स्पष्ट विवरण अपने न्यायालयीन कथन में नहीं दिया । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा लैब में बुलाए जाने एवं अंगूठी दिए जाने संबंधी तथ्य का उल्लेख पीड़िता के पुलिस कथन (प्रदर्श डी–1) में नहीं है । उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्व कथन में अभाव भी उसके न्यायालयीन कथन को संदेहास्पद बनाता है ।

10. पीड़िता (अ.सा.–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि प्रसारित ऑडियो उसके मोबाइल फोन पर प्राप्त नहीं हुआ था । उसने यह स्वीकार किया कि सितंबर, 2022 के पश्चात भी वह नियमित रूप से विद्यालय जाती रही तथा कक्षा–11वीं उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा–12वीं में अध्ययनरत है । उसने अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य शिक्षक अथवा प्राचार्य से कोई शिकायत नहीं की थी । उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा किसी बातचीत को प्रसारित नहीं किया गया था । आगे उसने यह कथन किया कि यदि उक्त ऑडियो प्रसारित नहीं होता, तो घटना की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई जाती । उसने यह भी स्पष्ट किया कि कथित ऑडियो में उसका नाम नहीं लिया गया है तथा उसके पिता को भी वह ऑडियो उसकी मित्र के मोबाइल से नहीं सुनाया गया था । कथित स्क्रिप्ट उसके समक्ष तैयार नहीं की गई तथा पुलिस द्वारा उसे उक्त प्रसारित ऑडियो सुनाया भी नहीं गया । पीड़िता ने यह भी स्वीकार किया कि प्रोजेक्ट फाइल में दर्शाई गई त्रुटि को लेकर अपीलार्थी द्वारा की गई टिप्पणी के कारण वह एवं उसकी मित्र (अ.सा.–8) अपीलार्थी से नाराज़ हो गई थीं । उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने उससे प्रत्यक्ष बातचीत में कभी भी अश्लील बातें नहीं कीं । उसने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 एवं पी–2 में अंकित समस्त वार्तालाप उसकी और अपीलार्थी के मध्य नहीं हुआ था । पुलिस द्वारा उसकी आवाज़ का कोई नमूना भी नहीं लिया गया । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं स्वयं पीड़िता के कथनों के आलोक में, अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है ।

11. पीड़िता के पिता (अ.सा.–2), जो इस प्रकरण के लिखित शिकायतकर्ता हैं, ने अपने न्यायालयीन कथन में यह स्वीकार किया है कि उन्हें न तो पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) का मोबाइल नंबर ज्ञात था और न ही अपीलार्थी का मोबाइल नंबर । उन्होंने यह भी कहा

कि पुलिस द्वारा जो मोबाइल जब्त किया गया था, वह पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) का था तथा उन्होंने संपूर्ण लगभग 30 मिनट की कथित बातचीत नहीं सुनी थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–6 की लिखित शिकायत विद्यालय परिसर में तैयार की गई थी, जिसे किसी शिक्षक ने लिखा था, और वह शिक्षक उनके साथ पुलिस चौकी नहीं गया । उन्होंने मोबाइल नंबर नहीं बताए थे, जबकि प्रदर्श पी–6 में मोबाइल नंबरों का स्पष्ट उल्लेख है । यह तथ्य भी लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–6) की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या वह वास्तव में पिता (अ.सा.–2) के कथनानुसार ही लिखी गई थी । आगे उन्होंने यह भी कहा कि उक्त ऑडियो का प्रसारण स्वयं पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) द्वारा किया गया था । इस प्रकार, पिता (अ.सा.–2) के कथन से भी अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है ।

12. पिता (अ.सा.–2) की लिखित शिकायत (प्रदर्श पी–6) जिस सूचना पर आधारित है, उसका प्रमुख स्रोत दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) बताया गया है, जिसके मोबाइल फोन पर कथित ऑडियो प्रसारित होकर प्राप्त हुआ था और जिसे उसने पिता (अ.सा.–2) को सुनाया था । न्यायालयीन साक्ष्य में दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) ने कहा है कि उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग उसे दीपू साहू के मोबाइल फोन से प्रेषित हुई थी । तथापि, प्रकरण में न तो दीपू साहू का अभियोजन द्वारा परीक्षण कराया गया है और न ही दिनेश कुमार साहू का मोबाइल फोन जब्त किया गया है । इस प्रकार, जिस कथित ऑडियो के प्रसारण को अपराध का आधार बताया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक साक्ष्य ही संकलित नहीं किए गए । परिणामतः अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है ।

13. सहायक उपनिरीक्षक जगदीश सोनवानी (अ.सा.–7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि अपीलार्थी की आवाज़ का नमूना लेकर उसकी सी.डी. तैयार की गई तथा उसे

प्रदर्श पी–15 के अंतर्गत जब्त किया गया । किंतु प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि वॉइस रिकॉर्डिंग की सी.डी. उसने स्वयं तैयार नहीं की थी । इस प्रकार उसके कथनों में परस्पर विरोधाभास परिलक्षित होता है, जो अभियोजन की कार्यवाही की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है । फलस्वरूप, उक्त साक्ष्य भी अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है ।

14. एक अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) है । उसका न्यायालयीन कथन है कि उसके मोबाइल फोन का उपयोग पीड़िता द्वारा किया जाता था तथा उसने बाद में उस मोबाइल में पीड़िता और अपीलार्थी के बीच हुई बातचीत की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिसमें उनकी आवाजें थीं । उसके अनुसार उस वार्तालाप में पढ़ाई संबंधी चर्चा न होकर किसी "सपने" के विषय में बातचीत हो रही थी । आगे उसने यह भी कहा कि उसके समक्ष पीड़िता ने कभी अपीलार्थी से बातचीत नहीं की थी तथा किस प्रकार का ऑडियो प्रसारित हुआ था, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है । वह अपने कथन में अभियोजन का समर्थन नहीं कर सकी और प्रतिपरीक्षण में उसने कहा कि पीड़िता ने उससे कभी यह नहीं कहा कि अपीलार्थी ने मोबाइल फोन पर उससे अश्लील या आपत्तिजनक बातें की थीं । उसने यह भी कहा कि पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त नहीं किया था, जबकि अभियोजन के अनुसार उसका मोबाइल फोन प्रदर्श पी–10 के तहत पीड़िता के पिता से जब्त किया जाना बताया गया है । उसने यह भी कहा कि उसने कोई अश्लील ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तथा उसके मोबाइल पर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी । अंततः उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह सकती कि रिकॉर्डिंग में वास्तव में अपीलार्थी और पीड़िता की ही आवाजें थीं । इस प्रकार, उक्त साक्षी के कथन से भी अभियोजन का मामला संदेहास्पद होता है ।

15. वॉइस रिकॉर्डिंग के पंचनामा के साक्षी ईश्वर लाल साहू (अ.सा.–9) भी अभियोजन का समर्थन नहीं कर सके और पक्षद्रोही रहे हैं । उसने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अपीलार्थी एवं पीड़िता की आवाज़ संबंधी कोई पंचनामा उसके समक्ष तैयार नहीं किया गया था । उसने यह भी कहा कि पीड़िता ने कभी उसके समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी । इस प्रकार, वॉइस रिकॉर्डिंग के पंचनामा से संबंधित स्वतंत्र साक्ष्य का भी अभियोजन को अपेक्षित समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर और अधिक संदेह उत्पन्न होता है ।

16. इस प्रकरण में विवेचक का कथन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रकरण की विवेचना निरीक्षक प्रणाली वैद्य (अ.सा.–13) द्वारा की गई । उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान उसने दिनेश कुमार साहू (अ.सा.–5) से कोई मोबाइल फोन जब्त नहीं किया तथा उसके मोबाइल के व्हाट्सएप का कोई स्क्रीनशॉट लेकर पंचनामा भी तैयार नहीं किया । उसने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग दिनेश कुमार साहू के मोबाइल पर किस स्रोत से प्राप्त हुई थी । दीपू साहू के व्हाट्सएप के संबंध में भी उसने कोई जांच नहीं की । उसने यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता की मित्र (अ.सा.–8) के मोबाइल फोन का व्हाट्सएप खोलकर यह जांच नहीं की गई कि उसके मोबाइल से किस अन्य मोबाइल पर उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित की गई थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता के पिता से जब्त किए जाने का जो कथन है, उस कथित मोबाइल को चलाकर अथवा उसका व्हाट्सएप खोलकर कोई विधिवत पंचनामा तैयार नहीं किया गया । विवेचक ने यह भी स्वीकार किया कि पीड़िता की आवाज़ का कोई नमूना नहीं लिया गया तथा अपीलार्थी के मोबाइल फोन में कोई प्राकृतिक (नेचुरल) वॉइस रिकॉर्डिंग भी प्राप्त नहीं हुई । आगे उन्होंने यह भी स्वीकार

किया कि कथित विद्यालय के किसी शिक्षक का कथन विवेचना के दौरान दर्ज नहीं किया गया । उपर्युक्त स्वीकारोक्तियों से स्पष्ट है कि विवेचना में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक जांच एवं साक्ष्य संकलन नहीं किया गया, जिससे अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता और अधिक संदेहास्पद हो जाती है ।

17. समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता द्वारा न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध जो कथन, उसे विद्यालय के लैब में बुलाए जाने एवं अंगूठी दिए जाने संबंधी किये हैं उसका कोई उल्लेख उसके पुलिस कथन में नहीं है । उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्व कथन में अभाव होना उसके न्यायालयीन कथन को संदिग्ध बनाता है । इसी प्रकार, मोबाइल फोन पर अश्लील एवं आपत्तिजनक बातें किए जाने का जो आरोप लगाया गया है, उसके संबंध में न तो किसी निश्चित तिथि एवं समय का उल्लेख है और न ही कथित "गंदी बातों" की प्रकृति का कोई स्पष्ट विवरण प्रस्तुत है । जहाँ तक मोबाइल फोन पर ऑडियो प्रसारित किए जाने का प्रश्न है, अभियोजन यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उक्त ऑडियो किसने रिकॉर्ड किया, किसने प्रसारित किया, उसमें किसकी आवाज़ थी तथा उसमें वास्तव में क्या वार्तालाप हुआ । इन सभी बिंदुओं पर ठोस, विश्वसनीय एवं निश्चित प्रकृति के साक्ष्य का अभाव है ।

18. इस स्थिति में यह न्यायालय पाती है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन अपना मामला पर्याप्त, स्पष्ट, विश्वसनीय और संदेह से परे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहा है । इसलिए अपीलार्थी की प्रश्नाधीन दोषसिद्धि और दण्डादेश का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता ।

19. अतः अपील **स्वीकार** की जाती है । **"**प्रश्नाधीन निर्णय**"** अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

20. अपीलार्थी मोहन कुमार साहू जमानत पर है । उसका जमानत–मुचलका आगामी 06 माह के लिए प्रभावशील रहेगा । इसके पश्चात, यदि किसी अन्य न्यायालय में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पाई जाती है, तो उसे मुक्त समझा जाएगा ।

21. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ शीघ्रतापूर्वक वापस प्रेषित किया जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन